



Neutral Citation No. - 2026:AHC:40561

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 9268/2025

राहुल कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अकलंक कुमार जैन, कुलदीप सिंह तोमर

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अकलंक जैन और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव की दलीलें सुनी गईं।
2. इस न्यायालय ने 10.07.2025 को रिट याचिका स्वीकार की और निर्देश मांगे।
3. प्रतिवादी संख्या 2 के हस्ताक्षरों के तहत दिनांक 29.07.2025 के निर्देश रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं।
4. श्री बी.के. श्रीवास्तव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय में यह बयान दिया है कि उनके पास निर्देश उपलब्ध हैं और वे इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं; वे कोई हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, और रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आधार पर ही किया जाए। पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।

5. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 936 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे; रिट याचिकाकर्ता ने इसके अनुसरण में आवेदन किया और स्वयं को पूर्णतः पात्र एवं योग्य बताया। आवेदन पत्र में, रिट याचिकाकर्ता ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के रूप में ग्लोकल यूनिवर्सिटी, सहारनपुर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होने का उल्लेख किया। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उसे एक प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी किया गया; रिट याचिकाकर्ता का यह मानना था कि 31.01.2024 को घोषित कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम में उसे 330 अंक प्राप्त हुए थे। तथापि, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, जब 27.06.2025 को अंतिम परिणाम प्रकाशित किया गया, तो चयनित उम्मीदवारों की सूची में रिट याचिकाकर्ता का नाम शामिल नहीं था।
6. इसी बात पर सवाल उठाते हुए, यह रिट याचिका दायर की गई।
7. रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि रिट याचिकाकर्ता को 'अनुपयुक्त' करार देने का मुख्य आधार यह तथ्य है कि, क्लॉज़ 3.2 के अनुसार, ज़रूरी योग्यताओं में से एक 'कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग' में डिप्लोमा होना है; लेकिन चूंकि 'ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर' द्वारा जारी की गई डिग्री में यह ज़िक्र था कि 'कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग' में डिग्री या डिप्लोमा दिया जा रहा है, इसलिए प्रतिवादियों ने यह रुख अपनाया कि रिट याचिकाकर्ता के पास डिग्री है, न कि फैकल्टी के लिए ज़रूरी डिप्लोमा। रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि रिट याचिकाकर्ता के पास जो शैक्षणिक योग्यता है, वह 'कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग' में डिप्लोमा ही है; भले ही

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



डिप्लोमा जारी करने के फॉर्मेट में 'डिग्री' शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन इससे वह डिप्लोमा की जगह डिग्री का रूप नहीं ले सकता।

8. श्री बी.के. श्रीवास्तव, सरकारी अधिवक्ता ने दलील दी कि स्थिति चाहे जो भी हो, रिट याचिकाकर्ता को तीसरे प्रतिवादी-अपर सचिव (भर्ती), यू.पी. पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ-से संपर्क करना चाहिए; वही रिट याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करेंगे।
9. अदालत में दी गई दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, इस रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता अपनी रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति, इस आदेश की प्रमाणित प्रति, और 'कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग' में डिप्लोमा की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन दायर करे; और प्रतिवादी संख्या 3-अपर सचिव (भर्ती), यू.पी. पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ-रिट याचिकाकर्ता के दावे पर दो महीने के भीतर निर्णय लेंगे। यदि तीसरे प्रतिवादी की यह राय बनती है कि इस मामले का समाधान किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए, तो वे संबंधित कागजात उस प्राधिकरण को भेज देंगे।
10. आज प्रस्तुत किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है और उन्हें 'परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

23 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”